



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 19.08.2025

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित लगभग 01 लाख 05 हजार रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क ।

**विवरण-** प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर सम्पत्ति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को बांदा पुलिस द्वारा जनपद बांदा के थाना कमासिन क्षेत्र के 02 **अभियुक्तों की आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 01 लाख 05 हजार रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है** । अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना अतर्ग पर **मु0अ0सं0 14/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986** पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना निरीक्षक थाना फतेहगंज श्री ननकु लाल सोनकर द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी । मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 19.08.2025 को **02 अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की गई 01 लाख 05 हजार रुपये** की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है । इस दौरान नायब तहसीलदार बबेरु श्री राहुल गौरव, व प्र0 नि0 फतेहगंज श्री रामकिशोर सिंह मय पुलिस टीम के मौजूद रहें ।

### अभियुक्तों का विवरण -

1. सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार निवासी ओझानगर मजरा लोहरा थाना कमासिन जनपद बांदा ।
2. कैलाश पटेल पुत्र छंगू पटेल निवासी ओझानगर मजरा लोहरा थाना कमासिन जनपद बांदा ।

### जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. मोटरसाइकिल UP90N0124 अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये
2. मोटरसाइकिल UP90N6046 अनुमानित कीमत 55 हजार रुपये